IJARETY

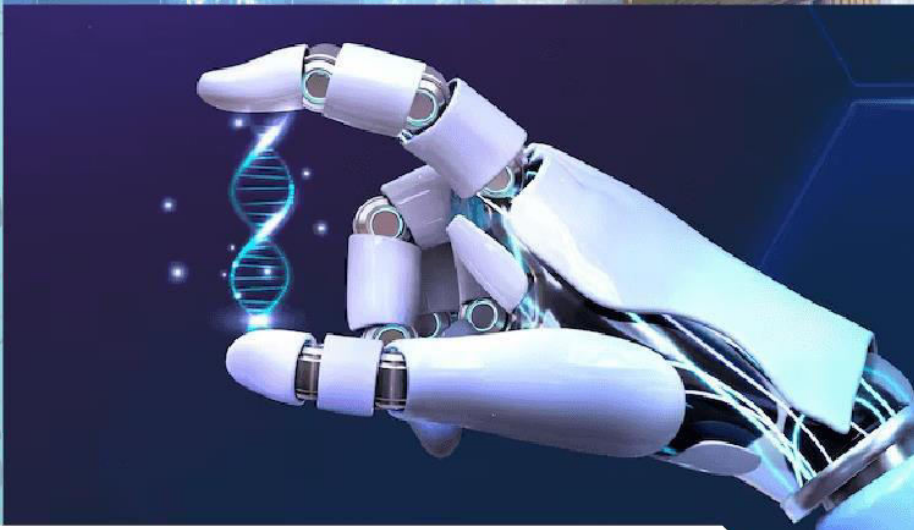

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY (IJARETY)

Volume 12, Issue 2, March-April 2025

Impact Factor: 8.152

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

INNO SPACE SJIF Scientific Journal Impact Factor

doi crossref

निस्केयर NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY(IJARETY)

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 8.152| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Refereed Journal |

|| Volume 12, Issue 2, March-April 2025 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2025.1202015

भारत मे राजनीतिक सहभागिता के रूप में महिला सशक्तिकरण

Anima Minj, M.Phil

Department of Political Science, T/6 Vishal Nagar, Ravi Garm Telebandha, Raipur, (C.G.), India

शोध सारांश: यह निर्विवाद सत्य है कि महिलाओं की समृद्धि, संरक्षण, विकास तथा कल्याण के लिए उनकी शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति में सुधार करना आवश्यक है जो उनकी राजनीतिक प्रगति के बिना असम्भव है, इसीलिये महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिये महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर बल दिया जा रहा है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो का मत है, कि स्त्रियों का घर की चारदिवारी के भीतर रखने का परिणाम सिर्फ यहीं नहीं होता है, कि उनका विकास रुक जाता है बल्कि यह भी होता है कि राज्य अपने आधे सदस्यों की सेवा से वंचित रह जाता है। उन्हें सभी कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिये, जिन्हें करने की उनमें स्वाभाविक योग्यता हो।

किसी भी समाज के समग्र विकास के लिए सम्बन्धित महिला वर्ग का राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जुड़ा होना परमावश्यक है। राष्ट्र की आधी आबादी अर्थात् महिला वर्ग का सक्रिय एवं पूर्ण सहयोग ही सम्बन्धित समाज के पूर्ण विकास की पूर्व शर्त है। राजनीतिक समाज के आधे सदस्यों की सक्रिय एवं पूर्ण सहभागिता के बिना स्वस्थ एवं सुदृढ लोकतंत्र का विकास संभव नहीं है। राज्य सभा की पूर्व उप-सभापति नजमा हेतपुल्ला के अनुसार राजनीति के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को साथ लेने पर ही लोकतंत्र पूर्ण होता है। नीति एवं निर्णय निर्माण और सोच के प्रत्येक स्तर पर साथ चलने से ही सहभागिता पूर्ण होती है।

राजनीतिक मुद्दे के रूप में नारी सशक्तीकरण का प्रश्न पिछले कुछ दशकों में सार्वजनिक मंचों से एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न के रूप मे हमारे समक्ष है। पिछले दशकों में विश्वस्तर पर यह आम सहमति उभरी है कि जन आबादी के आधे भाग महिलाओं की सक्रिय सहभागिता के बिना संतुलित सामाजिक संरचना एवं अर्थपूर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक विकास संभव नहीं है।1 वर्तमान में लगभग सभी राष्ट्रों में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को स्वीकार किए जाने के बावजूद भी वर्तमान युगीन लोकतांत्रिक समाज में आधी आबादी अर्थात महिलाओं को जो हिस्सा एवं दर्जा मिलना चाहिए, उससे वह वंचित है। तमाम प्रयासों के उपरान्त भी महिला विकास एवं महिला सशक्तीकरण का प्रश्न राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक उन्नयन की मुख्य धारा के साथ जुड़ नहीं पाया है।

मूल शब्द: लोकतांत्रिकरण, सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व, संस्थाकरण, सहभागिता, स्थानीय, क्रियाशीलता, अपराधीकरण, दृष्टिकोण।

I. प्रस्तावना

यद्यपि आज महिलाएँ क्रियाशीलता के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण स्तर पर कार्यरत है। समाज, राजनीति, प्रशासन, न्यायिक, कला साहित्य, संस्कृति, कॉरपोरेट, विज्ञान-प्रौद्योगिकी सहित सामरिक क्षेत्र (रक्षा अनुसंधान) में भी महिलाएँ अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर समाज एवं राष्ट्र के विकास में सहयोगी बन रही है। पुरुषों का कुटिल खेल मानी जाने वाली राजनीति भी महिलाओं के वर्चस्व के आगे नतमस्तक होती दिखाई दे रही है। घर के बजट के संचालन से लेकर देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का दायित्व महिलाएं बखूबी निभा रही है।

भारत, ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना, कोस्टारिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, आइसलैंड, स्विजरलैंड, लाइबेरिया जैसे अनेक राष्ट्रों के शीर्ष संवैधानिक पदों पर महिलाएं काबिज रह कर शासन की बागडोर बड़ी दक्षता के साथ संभाल चुकी हैं। भारत सहित पड़ौसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार की राजनीति में भी महिलाओं की विशेष भूमिका रही है, लेकिन यह सब तस्वीर का मात्र एक पहलू है तथा वास्तविकता कुछ और है। महिलाओं ने अपनी योग्यता एवं क्षमता के बल पर प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दर्ज की है, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से उनकी स्थिति बहुत शोचनीय है।

दुनिया के अधिकांश देशों की तरह, भारत ने भी महिलाओं की राजनीति में सहभागिता और उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए संघर्ष किया है। यह हम जानते हुए कि महिला विकास वर्तमान शताब्दी की सबसे महत्त्वपूर्ण एवं चर्चित संकल्पना है, जो स्थानीय स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक सरकारी गैर सरकारी अभिकरणों की गतिविधियों का मुख्य केन्द्र है, फिर भी भारत मे आधी आबादी का प्रभावी राजनीतिक सशक्तिकरण क्यों नहीं हो पाया है, जिनकी वे हकदार हैं।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 8.152| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Refereed Journal |

|| Volume 12, Issue 2, March-April 2025 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2025.1202015

यद्यपि 19 वीं एवं 20 वीं शताब्दी में भारतीय समाज सुधारकों द्वारा महिला अधिकारों हेतु किए गए प्रयासों के उपरांत महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में सुधार अवश्य हुआ एवं स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु विभिन्न संवैधानिक प्रावधान किए गए और विभिन्न कानूनी अधिकारों के द्वारा उनके सशक्तिकरण को एक नया आधार देने का प्रयास किया गया और इसी का प्रतिफल है कि वर्तमान में राजनीतिक रूप से महिला सशक्तिकरण एवं महिला प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से पूर्व की तुलना में बढ़ा है लेकिन भारतीय परिदृश्य में मध्यकाल से शुरू हुआ महिलाओं की सामाजिक व राजनीतिक स्थिति में क्षरण आज भी जारी है। कुछेक नामों को छोड़कर विश्व सहित भारत का राजनीतिक पटल भी लगभग महिला विहिन है। आज के राजनीति प्रधान समाज में किसी भी वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत महत्व रखता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। भारतीय लोकतंत्र में महिला नेतृत्व की यह स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है।

भारत एक विकासशील देश है, जहां राजनीतिक सहभागिता व्यवस्था में मौजूद कई प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारको एवं परिस्थितियों से प्रभावित होती है। महिला राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले मुख्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कारकों का उल्लेख निम्नानुसार है –

II. सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियां

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियां रही है क्योंकि भारत के साथ अन्य सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मतदाता मतदान व्यवहार का निरूपण करते समय निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से पूरी तरह प्रभावित रहते हैं। भारत में होने वाले चुनाव के समय विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पल रहे सामाजिक-आर्थिक परिवेश का यहां के मतदाताओं पर गहरा प्रभाव स्पष्ट रूप देखा जा सकता है। इस संबंध में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों की विवेचना निम्नानुसार है-

III. लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन

पितृसत्तात्मक मूल्यों और उस पर आधारित आचरण संहिता के अनुसार स्त्री एवं पुरुष के मध्य लिंग आधार पर श्रम विभाजन किया गया, जिसके तर्कानुसार स्त्रियों के लिए परिवार की 'निजता' को एवं पुरुषों के लिए बाह्य आर्थिक एवं राजनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र को स्वाभाविक क्षेत्रों के रूप में स्थापित किया गया। नारी का क्षेत्र घर की चारदीवारी में सीमित करने के लिए पुरुष और स्त्री के कार्य विभाजन को आन्तरिक व बाह्य स्थलों के रूप में विभक्त किया गया, जिसके अन्तर्गत घर के सभी कार्य व बच्चों के लालन-पालन का दायित्व नारी की भूमिका के साथ संस्थापक रूप में जोड़ दिया गया।

परिणामस्वरूप सत्ता व शक्ति की प्राप्ति से नारी वंचित रही क्योंकि सत्ता व शक्ति के अवसर, परिस्थितियाँ व पद घर के बाहर विद्यमान है। इस प्रक्रिया से पुरुषों का इन क्षेत्रों में संस्थापक व सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर एकाधिकार हो गया तथा सार्वजनिक क्षेत्र की वर्जना ने नारी को गृहस्थ जीवन के नैत्यिक कामों से बाँधकर रखा।

इस प्रकार पारम्परिक भारतीय परिवार का स्वरूप अलोकतांत्रिक तथा उसकी संरचना असमता पर आधरित रही है। परिवार की यह असमतावादी संरचना लैंगिक असमानता की ही परिणति रही, जो लिंग विभेद पर आधारित सामाजिक सोच का परिणाम रही है। सामाजिक चिन्तन एवं पितृसत्ता पर आधारित आचरण के कारण स्त्रियों की निजी एवं पुरुषों की सार्वजनिक भूमिका को वैध ठहराकर स्त्रियों की अधीनता को सुनिश्चित किया गया। असमतावादी चिन्तन के कारण ही परिवार संरचना के भीतर आधिपत्य एवं अधीनता की स्त्री विरोधी सोपान को बल प्राप्त हुआ, जिससे स्त्री का जीवन परिवार के दायरे में सिमट कर रह गया। नारीवादियों ने लिंग भेद को लिंग असमानता के रूप में धीरे-धीरे हुए रूपान्तरण को सामाजिक संस्थाकरण का परिणाम माना।

IV. पुरुष प्रधान समाज

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाला दूसरा अन्य महत्वपूर्ण कारक पुरुष प्रधान समाज की की मानसिकता है। भारतीय समाज की सम्पूर्ण संरचना पुरुष प्राधान्य पर आधारित है। पुरुष सत्तात्मक भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष नहीं, अपितु पुरुषों के अधीन माना गया है तथा राजनीति महिलाओं के लिए वर्जित क्षेत्र माना गया है। पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण ही महिलाओं को कतिपय पूर्वाग्रह एवं निर्योग्यताओं के साथ देखा जाता है।

परिवार, समाज, राजनीतिक दल, विधान मण्डल इत्यादि प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को इस मानसिकता से जूझना पड़ता है जो महिलाओं को चुनौतीपूर्ण कार्यक्षेत्रों में प्रवेश से रोकती है। कुमारी कुमुद बेन जोशी, तत्कालीन संसद सदस्या व आंध्रप्रदेश की पूर्व

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 8.152| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Refereed Journal |

|| Volume 12, Issue 2, March-April 2025 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2025.1202015

राज्यपाल ने स्वीकार किया कि विशेष रूप से जब कोई भी महिला घर से बाहर कदम निकालती है तो उसे दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है। वे दिक्कतें सभी क्षेत्रों में आती है।

V. सामाजिक पूर्वाग्रह

सामाजिक पूर्वाग्रह भी महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता को प्रभावित करता हैं। परम्परावादी समाज में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता को वर्जित माना जाता है तथा राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है। युवा महिलाओं के लिए राजनीति का पथ और भी कठिन है, क्योंकि उनका राजनीति में प्रवेश परम्परावादी समाज की दृष्टि से ही नहीं बल्कि, नैतिक तथा चारित्रिक दृष्टि से भी गलत माना जाता है।

VI. सांस्कृतिक प्रतिबंध एवं रूढ़िवाद

सांस्कृतिक मापदंड तथा रूढ़िवादिता भी महिलाओं की राजनीति सहभागिता को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। इनके कारण भी महिलाएँ राजनीति में भाग नहीं ले पातीं। सक्रिय राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी के लिए जिम्मेदार सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि हमारा समाज भी है, जो महिलाओं को राजनीति में स्वीकारने को तैयार नहीं होता है।

VII. पारिवारिक उत्तरदायित्व

पारिवारिक उत्तरदायित्व राजनीति में महिला सहभागिता को प्रभावित करने वाला एक अन्य पहलू है। पारम्परिक रूप से पारिवारिक दायित्व के लिए महिला को ही उत्तरदायी माना जाता है तथा पुरुष सामान्यतः इनसे मुक्त रहते हैं। अतः पुरुष, समाज एवं राजनीति को अधिकांश समय दे पाते हैं, लेकिन महिला के लिए परिवार, समाज एवं राजनीति के मध्य सन्तुलन बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है।

योग्यता एवं क्षमता के बावजूद पारिवारिक दायित्वों के निवर्हन में अपना अधिकांश समय व्यतीत होने के कारण महिलाएँ सामाजिक एवं राजनीतिक दायित्वों की दिशा में पर्याप्त समय नहीं दे पाती है। राजनीतिक दृष्टि से जन सम्पर्क आवश्यक है तथा जनता भी यह अपेक्षा रखती है, कि उनका प्रतिनिधि इन्हें पर्याप्त समय दें, उनकी समस्याओं को सुने तथा उनका समाधान करे, लेकिन इसके विपरीत परिवार के सदस्यों की यह अपेक्षा रहती है कि महिला ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ व्यतीत करे तथा उनकी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं का ध्यान रखे।

VIII. भूमिकाओं के विस्तार के रूप में दोहरा भार

भारतीय परिवार की संस्था में संस्कारगत व सांस्कृतिक आयाम नारी को उसमें पूर्णरूपेण आबद्ध किए हुए है। शिक्षा व्यवसाय के माध्यम से ज्ञान, सूचना व आर्थिक सुधार प्राप्त करके भी महिला गृहस्थ जीवन के भावनात्मक व सम्बन्धात्मक परिधियों से बंधी हुई है। संस्था के रूप में परिवार का कोई उचित विकल्प समाज में उपलब्ध व स्वीकृत नहीं है। अतः गृह कार्यभार को बिना त्यागे भारतीय नारी ने घर के बाहर व्यावसायिक कार्य को भी अपनाया है। भूमिकाओं के विस्तार ने उस पर दोहरे भार थोपे हैं। सामंजस्य व समझौते की परिस्थितियों में प्रायः नारी को स्वः की बलि देनी पड़ती है। गृहस्थ जीवन के भावनात्मक व सम्बन्धात्मक परिस्थितियों से बंधी होने के कारण भारतीय नारी परिवार तोड़कर स्वतन्त्रता व शक्ति को प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं है।

IX. पारिवारिक असहयोग

इन सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाने की इच्छुक महिला राजनीतिज्ञों को कई बार वह पारिवारिक सहयोग और समर्थन नहीं मिल पाता, जिसकी वे हकदार हैं। पारिवारिक असहयोग महिलाओं के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से घातक होता है। महिलाओं द्वारा कार्यस्थल पर किए गए कार्यों व दी गई सेवाओं के अतिरिक्त परिवार को दिए जाने वाले विशुद्ध समय में कटौती तत्पश्चात् परिवार द्वारा की जाने वाली उपेक्षा उनके जीवन में तनाव उत्पन्न करती है जिसके फलस्वरूप महिलाओं द्वारा इस क्षेत्र में संभावनाएँ नहीं खोजी जातीं।

अधिकांशतः कामकाजी महिलाएँ विवाहित हैं, वे अपने परिवार एवं पति सहित संपूर्ण वातावरण में कार्य का संपादन कर कार्यस्थल पर उपस्थित होती हैं परन्तु अनेक प्रसंगों में परिवार द्वारा उनका सहयोग नहीं किया जाता तथा वे अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में होती हैं। महिला राजनीतिज्ञ के समक्ष यह स्थिति अधिकांशतः विद्यमान होती है। चूँकि पारिवारिक सदस्यों की अपेक्षा उन्हें अधिक से अधिक समय दिए जाने से सम्बन्धित होती है एवं पारम्परिक रूप से महिला को ही परिवार के लिए उत्तरदायी माना जाता है।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 8.152| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Refereed Journal |

|| Volume 12, Issue 2, March-April 2025 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2025.1202015

इसके विपरीत पुरुष इससे मुक्त ही रहते हैं। यह दोहरा दबाव जो कि परिवार और कार्यस्थल पर उपस्थित होता है, महिला राजनीतिज्ञ के समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न कर उन्हें मानसिक रूप से तनावग्रस्त करता है।

X. शिक्षा

शिक्षा भी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि शिक्षा एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से महिला वर्ग को आत्मनिर्भर बना कर उन्हें समाज सेवा के योग्य बनाया जा सकता है। महिलाओं के व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन महिलाओं के सन्दर्भ में यह पुरातन मान्यता रही है कि उस पर बचपन में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र का नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही उसका स्थान घर की चारदीवारी तक सीमित होना चाहिए। ऐसी कुप्रथा विद्यमान है कि वह ससुराल में प्रवेश डोली में बैठकर तथा प्रस्थान अर्थी पर लेटकर करेगी।

महिला को अधिक शिक्षित न करना, जीवनसाथी के चयन के अधिकार से वंचित रखने जैसे कुसंस्कार भी देखने को मिलते हैं, जो महिला अधिकारों का हनन है। ऐसी कुप्रथाओं के कारण महिलाओं का शैक्षिक स्तर पुरुषों की तुलना में बेहतर नहीं हो पाया, लेकिन अब वर्तमान समय में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने के कारण महिलाओं का शैक्षिक स्तर और उनकी राजनीतिक सहभागिता तीव्र गति से बढ़ रही है, यद्यपि इसे और अधिक बेहतर बनाने की अत्यधिक गुंजाइश है।

XI. स्थानीय सत्ता संरचना

वास्तव में महिला राजनीति की प्रथम पाठशाला ग्राम पंचायत है क्योंकि स्थानीय सत्ता संरचना की कार्यशैली एवं मतदाताओं के प्रति स्थानीय प्रतिनिधियों का दृष्टिकोण मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में महती भूमिका निभाता है। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के संचालन में जिन राजनीतिक दलों का प्रभुत्व होता है, अर्थात जिस राजनीतिक दल के समर्थित उम्मीदवार ज्यादा जीत कर आते हैं, वे अपने दलों की नीतियों व कार्यक्रमों के संबंध में स्थानीय मतदाताओं को ज्यादा बेहतर ढंग से प्रभावित कर पाते हैं। स्थानीय नेताओं द्वारा स्थानीय मुद्दों को ज्यादा दमदार ढंग से उठाया जाता है जो उस निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले सदस्यों के मतदान व्यवहार को एक ठोस दिशा में मोड़ने का कार्य करता है।

73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने एवं इसमें महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान होने के बाद महिला राजनीतिक सहभागिता को एक नया आधार मिला है। स्थानीय स्तर पर इस व्यवस्था से लगभग 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायतों तथा शहरी निकायों के चुनावों में भागीदारी का अवसर प्रदान किया।

XII. राजनीति में महिला सहभागिता को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक

आर्थिक-सामाजिक पृष्ठभूमि - भारतीय राजनीति में मुकाम स्थापित करने वाली महिलाओं के पिछले कुछ समय के आंकड़ों पर विचार करें तो देखते हैं कि किसी महिला के लिये राजनीति में भाग लेने के लिये उसकी आर्थिक-सामाजिक पृष्ठभूमि भी महत्त्वपूर्ण कारक है। उच्च सामाजिक वर्ग (जाति) व आर्थिक वर्गों की महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी शिक्षा का उच्च स्तर एवं राजनीतिक जागरूकता अधिक होने के कारण अधिक देखने को मिली है, जबकि निम्न सामाजिक-आर्थिक तबके की महिलाओं में यह भागीदारी तुलनात्मक रूप से कम है। कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में अवरोध उत्पन्न करती हैं।

आर्थिक परतंत्रता- महिला विकास में व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वतंत्रता के साथ-साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिला विकास असम्भव है, महिला की आर्थिक परतंत्रता पर निर्भरता के कारण ही पुरुष वर्ग ने उस पर अधिकार जमाया है। मार्क्सवादी लेखकों के अनुसार आर्थिक परतंत्रता ही नारी की वैयक्तिक स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है।

खर्चीली चुनाव प्रणाली - महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक अर्थ अथवा धन का राजनीति में बढ़ता प्रयोग भी है। खर्चीली चुनाव प्रणाली भी महिलाओं की राजनीतिक क्रियाशीलता के मार्ग में महत्त्वपूर्ण बाधक तथ्य है। दृढ महत्वाकांक्षी, साहसी, कर्मठ महिला जब अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर किसी प्रकार से राजनीति में अपनी पहचान तो बना लेती है, लेकिन जब वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का लक्ष्य लेकर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का प्रयास करती है, तो उस समय चुनाव में होने वाला असीमित धन उनकी क्रियाशीलता में बाधक सिद्ध होने लगता है। यही कारण है कि राजनीति में महिलाओं को प्राप्त कम प्रतिनिधित्व का एक प्रमुख कारण चुनाव कार्यों का दिनोंदिन बढ़ता खर्च भी है।
राजनीति में महिला सहभागिता को ऊपर विवेचित सामाजिक-आर्थिक कारकों के अतिरिक्त कुछ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कारक भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यथा –

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 8.152| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Refereed Journal |

IJARETY

|| Volume 12, Issue 2, March-April 2025 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2025.1202015

राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व - अनादिकाल से मर्दवादी सामाजिक व्यवस्था में पुरुष का ही वर्चस्व रहा है। जनजातीय समाज में भी मातृसत्तात्मक परिवार को छोड़कर अधिकांश जनजातीय कबीलों की राजनीति में पुरुष सरदार का ही बोलबाला था। सामंती समाज में तो पुरुषों का एकाधिकार हो गया और नारी दासी जैसा जीवन व्यतीत करने लगी। सामन्ती व्यवस्था ध्वस्त होने के पश्चात् नारी चेतना का ज्वार बढ़ने लगा। अपने अधिकारों के लिए जहां वह संघर्ष और नारी मुक्ति का आन्दोलन चलाने लगी, वहीं पुरुष के नाजायज दबाव, उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध वह सड़कों पर उतरने लगी। लेकिन हजारों वर्षों से चला आ रहा समाज पर पुरुष वर्चस्व इतनी सरलता से तो समाप्त नहीं हुआ है, परंतु ढीला होना अवश्य आरंभ हो गया है।

आज महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में सफलताओं के कीर्तिमान स्थापित कर रही है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में आज भी महिलाओं की उपस्थिति गौण है। इसका एक प्रमुख कारण राजनीति की जटिल प्रकृति है। राजनीति की डगर महिलाओं के लिए कठिन है, क्योंकि राजनीति में आमतौर पर पुरुषों का वर्चस्व रहता आया है। यही कारण है कि संसद में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को विभिन्न राजनीतिक दल जिन पर पुरुष का ही वर्चस्व है, पारित होने नहीं दे रहे हैं। कुछ अपवाद छोड़ दे तो निचले स्तर पर राजनीति में प्रवेश करने वाली महिलाएँ कई तरह के कांटों पर चलकर भी शिखर तक आसानी से नहीं पहुँच पाती।

राजनीति में नेपोटिज्म - वर्तमान राजनीति में नेपोटिज्म महिला सहभागिता को प्रभावित करने वाले एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में हमारे समक्ष है। नेपोटिज्म से तात्पर्य है कि यद्यपि राजनीति में कई पदों पर महिलाएं प्रतिनिधि कार्य कर रहीं है लेकिन पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता और महिलाओं को राजनीतिक स्तर पर निर्णय लेने के अयोग्य मानने की कई लोगों की गलत सोच के कारण कई महिला प्रतिनिधियों के निर्णय उनके पुरुष रिश्तेदारों के द्वारा लिए जाते हैं। कई महिलाएं चुनाव जीतकर तो आती हैं लेकिन उन्हें कहां, क्या और कैसे फैसले लेने हैं, इन सबका निर्धारण उनके घर के पुरुष ही करते हैं।

ग्रामीण स्तर पर नेपोटिज्म की समस्या अधिक है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर सामाजिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता ज्यादा है और महिलाओं को राजनीतिक रूप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता तुलनात्मक रूप से कम है। 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। इस कारण कुल सीटों की एक तिहाई सीटों पर महिला उम्मीदवारों का खड़ा होना आवश्यक है। इस तरह वे पुरुष जो राजनीति में अपना अस्तिव बनाए रखना चाहते हैं, वे अपनी नजदीकी रिश्तेदार महिला को ही उम्मीदवार बनाते हैं, लेकिन इन महिला प्रत्याशियों के जीतने पर प्रशासनिक निर्णय लेने की शक्ति इनके पुरुष रिश्तेदार ही अपने पास रखते हैं और इस कारण महिलाएं राजनीतिक रूप से पराधीन रहकर प्रशासनिक निर्णय लेने में खुद को असक्षम पाती हैं। सरपंच पति, प्रधान पति की अवधारणाएं इसी विचार का प्रतिफल है।

राजनीतिक दलों की उदासीनता - राजनीति में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने का प्रमुख कारण विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें उम्मीदवार न बनाना है। आज भी समाज में स्त्री को पिता, पति व पुत्र के अधीन रखा जाता हैं। स्त्री को सर्वथा निर्बल असहाय मानकर 'कमजोर लिंग' कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्त्री-पुरुष का अनुपात महिलाओं के विपरीत रहा है। भारत में 1000 पुरुषों पर मात्र 899 महिलायें हैं तथा राजस्थान में 1000 पुरुषों पर 947 महिलायें हैं, लेकिन ये अनुपात राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो महिलाओं का स्थान पुरुषों की अपेक्षा नगण्य है।

राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो लंबे समय से दावा और वादा महिलाओं को हर क्षेत्र में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण दिलाने का होता आ रहा है, लेकिन 70 साल के संसदीय इतिहास में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पंद्रह प्रतिशत तक भी न पहुंच पाना एक अलग संकेत देता है।

राजनीति के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण - आम लोगों में राजनीति की नकारात्मक छवि तथा इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से भी महिलाएँ राजनीति में कम रूचि लेती हैं। नैतिक दृष्टि से राजनीति का क्षेत्र जनसाधारण द्वारा उपयुक्त नहीं माना जाता है। उषा श्रीवास्तव ने ''आसां नहीं शिखर छूना'' नामक लेख में राजनीति को काजल की कोठरी माना है। उनके अनुसार काजल की कोठरी में पैर रखा है, तो कालिख लगने का अंदेशा भी है। आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में जमकर कीचड़ उछाले जाते हैं। महिलाएँ इसका ज्यादा शिकार होती हैं। उन्हें अश्लील टिप्पणियों और अभद्र व्यवहार से जूझना पड़ता है। ''दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए महिलाओं से ज्यादा आसान शिकार कोई नहीं'' जैसे विचार का राजनीति में भी अनुसरण करते हुए विरोधी दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों पर अधिक छीटांकशी की जाती है।

स्वयं को आधुनिक समझने वाला समाज महिलाओं के राजनीति में प्रवेश को चारित्रिक दृष्टि से संदिग्ध बना देता है। अभद्र व्यवहार, शारीरिक-मानसिक शोषण, चारित्रिक लांछन की आशंका और सबसे बढ़कर राजनीति का यह तथाकथित काजल ही राजनीति में महिलाओं के प्रवेश एवं सक्रियता को बाधित करता है। चारित्रिक लांछन एवं शोषण से आहत अधिकांश महिला कार्यकर्ता राजनीति से किनारा कर स्वयं को गुमनामी के अन्धेरों में खो देती है, क्योंकि परिवार एवं समाज द्वारा उनकी अस्वीकृति के उपरान्त एकाकीपन ही उनके लिए बेहतर विकल्प होता है।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 8.152| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Refereed Journal |

|| Volume 12, Issue 2, March-April 2025 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2025.1202015

राजनीति का अपराधीकरण - राजनीति का अपराधीकरण एक कारक के रूप में राजनीति में महिला सहभागिता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। आज राजनीति और अपराध का रिश्ता करीबी बनता जा रहा है और निर्वाचित सदनों में ऐसे जनप्रतिनिधियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिनका सम्बन्ध अपराध की दुनिया से है। चुनाव आयोग ने भी इस सत्य को स्वीकार किया है, कि देश में अनेक जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। आज राजनीति राजनेताओं की कर्मस्थली के स्थान पर अपराधियों की शरण स्थली बनता जा रहा है।

राजनीति में वंशवाद - भारत में सहभागी लोकतंत्र होने के बावजूद महिलाओं के समक्ष सबसे बड़ी समस्या राजनीति में प्रवेश की है। राजनीति में वंशवाद की परंपरा लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को कमजोर कर रहीं है। परिवारवाद और वंशवाद ने देश के लोकतंत्र को एक तरह से जकड़ रखा है। दूसरी बड़ी समस्या राजनीति में बढ़ता व्यक्तिवाद है। महिलाओं के राजनीति में प्रवेश के लिए यह भी प्रतिरोध खड़ा करता है। संसदीय प्रणाली को आधार बनाकर चलने वाले लोकतंत्र में व्यक्तिवाद जहाँ एक तरफ संघीय भावना के खिलाफ है, वहीँ दूसरी ओर राजनीति में अंधश्रद्धा को भी बढ़ावा देता है। यह संगठनों के लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रियाओं को सीधे-सीधे प्रभावित करता है। इस प्रकार वंशवाद, परिवारवाद, और व्यक्तिवाद लोकतंत्र की बुनियाद पर खतरा है, जो प्रतिभावान, सक्षम, और योग्य महिलाओं को राजनीति में आने के अवसर से वंचित करता है, जबकि धन-बल और रसूखदार आदमी चाहे कितना भी भ्रष्ट और अनैतिक हो, राजनीतिक दलों में आसानी से जगह पा लेता है।

परिवार एवं नातेदारी - महिला सहभागिता को प्रभावित करने वाला यह समसामयिक कारक है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में परिवार एवं रिश्तेदारों की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण है। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि माता-पिता, भाई-बहन आदि जिस राजनीतिक दल की नीतियों या नेताओं से प्रभावित होते हैं और उनके पक्ष में मतदान करते हैं तो उनके निकट परिवार जन भी उनके राजनीतिक दृष्टिकोण का अनुकरण करते है तथा उनके ही मार्गदर्शन में अपने मतदान व्यवहार का स्वरूप निर्धारण करते है। आज शिक्षित मतदाताओं की राजनीतिक चेतना में वृद्धि हो रही है और मतदाता व्यक्तिगत राजनीतिक निर्णय लेने में सक्षम हो गये हैं, तथापि प्राथमिक स्तर पर एवं जीवनपर्यन्त व्यक्ति के मतदान व्यवहार पर उसके परिवार और रिश्तेदारों का गहरा प्रभाव होता है।

महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत नवीन क्षेत्र - यद्यपि आज महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र की आधारशिला बनती जा रही है तथा वह राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसके बावजूद उन्हें राजनीति के क्षेत्र में वांछित सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि राजनीति महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत नवीन क्षेत्र है, वे राजनीति में सफलता की सूक्ष्म रीति-नीति को समझ नहीं पाई है, अतः राजनीति के पुराने दिग्गज खिलाड़ियों के सामने वे टिक नहीं पाती है, लेकिन यह यह विचार एकपक्षीय दृष्टिगत हो रहा है।

राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा - राजनीति में महिलाओं की गौण क्रियाशीलता का प्रमुख कारण उनमें राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा का अभाव है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में बहुत ही कम दृढ़ महत्त्वकांक्षी होती हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि विवाह के पूर्व कुछ महिलाओं में बड़ा ही उत्साह, महत्त्वाकांक्षा, कुछ कर गुजरने की तीव्र आकांक्षा, योग्यता तथा प्रतिभा होती है। वे तदानुसार इच्छित क्षेत्र में साहसिक कदम उठाती भी है, किन्तु जैसे ही वे विवाह बंधन में बंधती है, पारिवारिक उत्तरदायित्व, पारिवारिक अनुशासन उन्हें इस प्रकार से जकड़ लेता है कि वे चाहकर भी मुक्त नहीं हो पाती है। धीरे-धीरे उनकी महत्त्वकांक्षा मृत प्रायः भी होने लगती है। वे स्वंय की विचारधारा में ही परिवर्तन करना अधिक श्रेयस्कर समझती है। धीरे-धीरे यथास्थिति को स्वीकार करना उनकी नियति बन जाता है।

महिला सहभागिता को हतोत्साहित किए जाने की प्रवृत्ति - कठिन परिश्रम, अथक् श्रम साध्य कार्य किए जाने, संवेदनशील होने तथा प्रत्येक भूमिका को महत्त्वपूर्ण ढंग से निभाये जाने के उपरान्त भी राजनीति में महिला प्रतिनिधियों का चयन किन्हीं बड़े उत्तरदायित्वों के लिए नहीं किया जाता अपितु उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। उनकी क्षमताओं का पर्याप्त लाभ नहीं उठाया जाता जो कि महिलाओं में राजनीति के प्रति अरुचि पैदा करता है। कार्यस्थल पर पुरुष राजनीतिज्ञ से अनावश्यक तनाव व पुरुषों द्वारा महिलाओं को कमतर आंका जाना समस्याओं को बढ़ावा देता है तथा महिलाओं के समक्ष राजनीति के विपरीत मानसिकता बनाए जाने का कारण बनता है।

संप्रति राजनीतिक महिला सहभागिता को युवा मुद्दों के रूप में अनेक कारक प्रभावित कर रहे हैं, जो निम्नानुसार है-

बढ़ती डिजिटल राजनीति - भारत में तेजी से बढ़ते इंटरनेट उपभोक्ताओं के कारण डिजिटल दुनिया के लिए युवा भारत इस समय सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 14 करोड युवाओं ने पहली बार मतदान किया। इसी कारण राजनीतिक दल 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु वाले उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अपना लक्ष्य अधिक बनाते है क्योंकि भारत में सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले इसी आयु वर्ग के अधिक लोग हैं।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 8.152| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Refereed Journal |

|| Volume 12, Issue 2, March-April 2025 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2025.1202015

सोशल मीडिया की अधिकतर इन तकनीकों का प्रयोग नई युवा पीढ़ी कर रही है। युवा सोशल मीडिया के जरिए देश की राजनीति के प्रति अपनी राय जाहिर कर रहे हैं और देश के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणियां कर रहे हैं एवं पिछड़ी सेच रखने वाले बड़बोले राजनेताओं को सोच समझकर बोलने पर भी मजबूर कर रहे हैं। युवा जिस दल की ओर अपना रूझान प्रदर्शित करेंगे, निश्चित ही उस दल को फायदा पहुंचेगा। यही कारण है कि सभी राजनीतिक पार्टियां पूर्व के प्रचलित औपचारिक साधनों के साथ-साथ वर्तमान में नए विविध एवं अनौपचारिक जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के साधनों का प्रयोग करके अधिकाधिक युवा मतदाताओं को आकर्षित करने में कर रही है।

करिश्मा प्रधान नेतृत्त्व - किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला यह महत्त्वपूर्ण कारक है। पूरे स्वाधीनता संघर्ष प्रकरण का तथा आजाद भारत के विगत 74 वर्षों के इतिहास का तथ्यावलोकन करने से यह स्पष्ट जानकारी होती है कि करिश्मावादी व्यक्तित्त्व वाले नेताओं द्वारा महिलाओं के मतदान व्यवहार को अपने दल के साथ बांध कर रखने में अत्यंत कारगर भूमिका निभायी गयी है। इस राजनीतिक कारक के प्रभाव का इस्तेमाल राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दोनों दलों के नेताओं द्वारा किया जाता है। महिला करिश्मावादी नेताओं में अरुणा आसफ अली, सुभद्रा कुमारी चौहान, एनी बेसेन्ट, निर्मला देशपाण्डे, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, इन्दिरा गांधी, डा. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, मार्ग्रेट अल्वा, कोनिरा बेलियप्पा मुत्तम्भा शामिल है। इसके अलावा पिछले कुछ समय से भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महिला करिश्मावादी नेताओं में भारत की पूर्व राष्ट्रपति रही प्रतिभा पाटिल, कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा मायावती, जयललिता, ममता बनर्जी, वसुंधरा राजे सिंधिया, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, वृंदा करात, स्मृति ईरानी, अम्बिका सोनी, मीरा कुमार, जयन्ती नटराजन, कुमारी शैलजा एवं आगाथा संगमा शामिल है।

सामाजिक राजनीतिक आन्दोलन - सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलन बड़ी संख्या में मतदान व्यवहार को सरकार के विरुद्ध और किसी भी दलके पक्ष में करने का माद्दा रखता है। इस रूप में यह भी राजनीति में महिला सहभागिता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। पिछले कुछ समय से महिलाओं द्वारा चलाए गए विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन की सफलता ने भी राजनीति में महिला सहभागिता को प्रभावित एवं प्रोत्साहित किया है। उदाहरण के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर एवं 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम को लाने में अरुणा राय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा।

इसके अलावा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन एवं लोकपाल विधेयक को लाने हेतु किरण बेदी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अभी हाल ही में किसान आंदोलन जिसने केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून लेने पर वापस लेने पर मजबूर कर दिया, उसमें भी महिला सहभागिता की प्रभावी भूमिका रही। इन सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में महिला सहभागिता की बढ़ती भूमिका ने राजनीति में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका को आगे बढ़ाने एवं इसे प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।

असुरक्षा का भय - वर्तमान संदर्भ में यह अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है जिसने महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को नकारात्मक रूप में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी सुरक्षा उसका सर्वप्रथम मौलिक अधिकार है। दिन-प्रतिदिन देश में बढ़ने वाले अनैतिक एवं हिंसक वातावरण के कारण समाज में असुरक्षा का भय व्याप्त होता जा रहा है, जिसके कारण महिलाएँ राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पाती है। विभिन्न संस्कृतियों से परिपूर्ण राष्ट्र में महिलाओं ने राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक सभी क्षेत्रों में प्रवेश किया है एवं प्रशासनिक भूमिकाएँ निभाई हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है।

इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के पिछड़ेपन के साथ भारतीय सामाजिक संरचना, महिलाओं में संकोच, महिलाओं में आर्थिक रूप से पूर्ण स्वावलम्बन के अभाव, परिवार में निर्धनता एवं बालक और बालिकाओं में भेदभाव की मनोवृति, नैतिकता के दोहरे मापदण्ड, महिलाओं में असुरक्षा की भावना, समाज में नैतिकता का अभाव, भारत में खचीली चुनाव प्रणाली, महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता की कमी, राजनीति के दूषित आपराधिक वातावरण के कारण राजनीति में भाग लेने वाली महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का अभाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों में सत्ता प्राप्ति एवं स्वार्थ की दूषित प्रवृति के कारण महिलाओं की राजनीति में सहभागी करने की इच्छाशक्ति का अभाव आदि मुख्य सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सास्कृतिक, राजनीतिक कारण है जिनके कारण से महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में अपना यथोचित स्थान प्राप्त करने से वंचित है और विधानमण्डलों में उनकी संख्या अत्यंत न्यून है।

निष्कर्ष - वर्तमान भारतीय राजनीति में सक्रिय महिलाओं ने राजनीतिक कार्यों में जिस क्षमता एवं सूझबूझ का परिचय दिया है, उससे महिला सामर्थ्य के प्रति आशंकित धारणाएं शनैः शनैः खण्डित हो रही है। भारतीय राजनीति में महिलाएँ राजनीति सहित क्रियाशील जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान रूप से सहभागी होकर अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारतीय समाज में महिलाएँ सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र से संबद्ध विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन कर रही हैं। महिलाओं में न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता आई है वरन् वे समाज, कला, साहित्य, राजनीति, संस्कृति, कॉरपोरेट, विज्ञान प्रौद्योगिकी सहित सामरिक क्षेत्र में भी

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 8.152| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Refereed Journal |

|| Volume 12, Issue 2, March-April 2025 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2025.1202015

महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन हुई हैं तथा राष्ट्र की प्रगति में विशेष योगदान दे रही हैं। महिलाएँ इस बदलते हुए सामाजिक परिदृश्य में पुरुषों के समान भागीदारी का हिस्सा बन रही हैं। इन्हीं विभिन्न क्षेत्रों में से महिला द्वारा भारतीय राजनीति में भी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है।

वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं ने महिला हेतु राजनीति के द्वार खोले हैं। महिलाएँ स्वनिर्भर होने के लिए इस क्षेत्र में कदम रख रही हैं। स्थानीय स्तर पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षित व्यवस्था के कारण महिलाओं का राजनीति में प्रतिशत बढ़ा है लेकिन इन आंशिक समाधान ने उन बुनियादी समस्याओं को हल नहीं किया है जो महिलाओं को राजनीति में पूर्ण रूप से शामिल होने से रोकती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, सविन्दर, भारत में विकास प्रशासन, न्यू एकेडमिक पब्लिशिंग कम्पनी, जालन्धर, 2001
2. अग्रवाल, जी. के. सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन, साहित्य भवन, आगरा, 2000
3. सिंह, जी. पी., सामाजिक परिवर्तनः स्वरूप सिद्धान्त, प्रेंटिस हाल ऑफ इण्डिया, न्यू देहली, 2003
4. आहूजा, राम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिशिंग, जयपुर, 1999
5. वर्मा, एस. पी., आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2000
6. आशुरानी, महिला विकास कार्यक्रम, इनाश्री पब्लिशर्स, जयपुर, 1997
7. कोहली चन्द्र, शांता, ए स्टडीज ऑफ वीमेन इन एडमिनिस्ट्रेशनः ए सिचुऐशनल एनालिशस, राधा पब्लिकेशन, न्यू देहली, 2018
8. मिश्रा, शीला, महिलाओं की राजनीतिक क्रियाशीलता एवं विविध राजनीतिक दल, उपलव हाऊस, न्यू देहली, 2018
9. बाला, राज, द लीगल एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ विमैन इन इंडिया, मोहित पब्लिकेशंस, न्यू देहली, 2019
10. आहूजा, राम, भारत में सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1994.
11. दीक्षित, सोना एवं दीक्षित, अरुण कुमार, महिलाओं के मानवाधिकारों का संरक्षण, कुरूक्षेत्र, कुरुक्षेत्र प्रकाशन, 2020
12. देसाई नीरा एवं ठक्कर ऊषा, वूमैन्स इन इंडियन सोसाइटी, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, 2017
13. आर्य साधना, मेनन नेविदिता एवं लोकनीता जिनी, नारीवादी राजनीतिः संघर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन अकादमी, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2019
14. आर्य, सुधा, वूमैन, जैंडर, इक्वलिटी एण्ड स्टेट, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, दिल्ली, 2019.
15. डा. छिल्लर, मंजुलता, भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम, तृतीय संस्करण, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2017.
16. देवी, उमा, वूमैन्स इक्वलिटी इन इंडिया ए मिथ और रिएलिटी, डिसकवरी पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2000.
17. परीक्षा मंथन, वाषिकांक, भारत में महिला सशक्तिकरण - समग्र विवेचना, भाग 5, वर्ष 2022-23
18. कुरुक्षेत्र, नवंबर, 2020
19. पंवार, मीनाक्षी, नारी उत्पीड़न और कानून , राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1990
20. लोकतन्त्रा समीक्षा, चुनाव में महिलाओं की सहभागिता, संयुक्त अंक, जनवरी-दिसम्बर, 2004
21. रंजन, राजीव, चुनाव लोकसभा और राजनीति, ज्ञान गंगा पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2019
22. देवी शकुन्तला : वूमैन्स स्टेट्स एण्ड सोशल चेज, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2019.

IJARETY

International Journal of Advanced Research in Education and Technology

ISSN: 2394-2975 Impact Factor: 8.152

www.ijarety.in editor.ijarety@gmail.com